

नम्बर व त
अहकाम ज
हुकम की त
में जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्र कुमार गोयल R.A.S.

दर0 नं0 33/2014

तारीख रजू 09.07.2014

उनवान

छोटेलाल पुत्र मनफूल माली निवासी पी0जी0 कॉलेज के पीछे तहसील करौली

सायल

बनाम

- 01- राजू पुत्र किशोर आयु 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी सायनाथ खिडकिया के भीतर करौली
- 02- तुलसीराम पुत्र नामालूम जाति ब्राह्मण आयु 40 वर्ष निवासी 132 के0वी0 के पास करौली

गैरसायलान

दर0 अंतर्गत 212 RT Act

दिनांक : 30.01.2017

निर्णय

यह कि दर0 सायल द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दावा न्यायालय में पेश किया जा चुका है जो दस्तावेजी सबूतों पर आधारित होकर प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन वादी सायल के पक्ष में होने के कारण कामयाबी की पूर्ण उम्मीद है । यह कि आराजी ख0नं0 5451 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा बाँके 132 केवी के पास करौली में स्थित होकर सायल खातेदार काश्तकार है जबकि गैर सायलान शहजोर लडाकू आदमी होकर पैसे व राजनीतिक पहुँच का लाभ उठाकर उसकी दर्ज भूमि से बेदखल कर स्वयं कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं , सायल अनपढ आदमी है । यह कि गैर सायलान खसरा नंबर 5454, 5455 , 5456 बाके 132 केवी में कॉलोनी काट रहे हैं तथा इस ओर में सायल की खसरा नंबर 5451 पर मौके पर कब्जा कर गलत कॉलोनी का नक्शा सेट कर प्लाटिंग कर रहे हैं जो गैर कानूनी तथा सायल के हकूकों पर बेअसर है । यह कि नक्शा कॉलोनी जो गैर सायल

नं० 01 राजू ने बनाकर प्लॉट काटे जा रहे हैं उसमें दावे के साथ संलग्न नक्शा में मार्क ABCD XY में दर्शाया गया है गैर सायल नं० 01 ने सायल की भूमि खसरा नंबर 5451 में प्लाट नंबर 58 से 61 , 64 से 69 व संलग्न नक्शा सुर्ख मार्क ABCD XY को मिलाते हुए अपनी कॉलोनी में मिलाकर प्लाट काट रहा है जबकि खसरा नंबर 58 से 61 , 64 से 69 व संलग्न खुली भूमि रास्ते सहित मार्क ABCD खसरा नंबर 5451 का हिस्सा है । यह कि गैर सायल नं० 01 उक्त भूमियों में दर्ज मार्क ABCD में लगातार नींव भरवाने पर तुला है तथा मजदूर मौके पर लगाकर नींवें भरवा रहा है तथा गैरसायल नं० 02 इसका साथी व हिमायती है बरंग सुर्ख में दर्शाए रास्ते की भूमि को दबाते हुए बजानिव पश्चिम हर दो गैरसायलान नींव खोदकर प्लाट बनाकर निर्माण करने के लिए मौके पर मजदूर ले आए हैं दिनांक : 09.07.2014 को हर दो गैर सायलान ने रास्ते के बतौर दर्शाए गए स्थान व जानिब पश्चिम की भूमि पर नाजायज निर्माण हेतु सुबह 10 बजे से ही नींव खुदवाने में लगे हैं सायल ने रोका तो आमादा फसाद हो गए तथा समस्त बरंग सुर्ख पर कब्जा कर निर्माण करने कीधमकी देने पर यह दर० पेश करना आवश्यक हुआ है गैर सायलान लायके पाबंदी है कि वह बरंग सुर्ख संलग्न नक्शा भूमि जो कि खसरा नंबर 5451 का हिस्सा है में कोई भी अकृषि कार्य गैर कानूनी तौर पर ना तो स्वयं करे ना ही दीगर से करावे । यह कि गैर सायलान लगातार काम कर रहे हैं उन्हें सायल ने कहा कि खसरा नंबर 5451 में मौके की स्थिति यथावत् का नोट है तुम इसकी स्थिति मत बदलो तो भी वह नहीं मान रहे हैं जिस कारण गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत् स्थिति रखने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है । यह कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करने पर वादी सायल ने अपूर्णीय क्षति होना बताया है ।

इस प्रकार सायल द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु निवेदन किया कि दावे के साथ संलग्न नक्शा बरंग सुर्ख ABCD XY में कोई निर्माण कार्य ताकत के बल पर ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे एवं मौके की स्थिति को यथावत् बनाए रखे ।

दर० अंतर्गत 212 RT Act प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी गैर सायलान को दिए जाने के निर्देश दिए गए ।

दिनांक : 16.10.2014 को विद्वान वकील फरीकेन उपस्थित हुए । गैर सायल नं० 02 ने तामील नोटिस लेने से इंकार करने पर गैर सायल नं० 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वास्ते जवाब दिनांक : 29.10.2014 की तिथि नियत की गई । इसके बाद वकील गैर सायल की ओर से दिनांक : 16.10.2015 को जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील सायल को दिलाई गई ।

विद्वान अधिवक्ता गैर सायल नं० 01 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि दर० का पैरा नं० 01 में दावा पेश करना सही है शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर की है गलत है स्वीकार

नहीं सायल का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में है सायल ने दावा झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है । यह कि दर0 के मद नं0 02 में दर्ज आराजी सायल की खातेदारी में होना जिस प्रकार तहरीर किया है गलत व स्वीकार नहीं है उक्त आराजी में से सायल ने 1/2 बीघा जमीन दिनांक : 26.06.2008 को 1,96,000/-रु0 में विक्रय करके अपने खेत में लगी बोरिंग से वदिशा पूर्व 116 फुट भूमि छोडकर एवं वदिशा दक्षिण में नले की मेढ तक की भूमि पर कब्जा गैर सायल को संभलवा दिया जिस खरीदशुदा भूमि पर गैरसायल ने उसी दिवस अपनी खरीदशुदा भूमि एवं सायल की भूमि के मध्य उत्तर से दक्षिण करीब 07 फुट ऊँची पत्थर की पट्टियों गाडकर बाउण्ड्री बना ली जो मौके पर मौजूद है और सायल ने उक्त बाउण्ड्री से सटेवा अपनी भूमि में चाटार पोश मकानीयात का निर्माण भी माह जुलाई 2006 में कर लिया जो मकानीयात मौजूद है उक्त नैतिक स्थिति से स्पष्ट है कि सायल ने गैरसायल को भूमि विक्रय के पश्चात् विक्रयशुदा भूमि पर कब्जा संभलवा दिया और सायल का विक्रयशुदा भूमि से कोई संबंध नहीं रहा सायल ने 100/-रु0 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर विक्रय का इकरारनामा व एक किता पाईप पेपर गैरसायल के हक में तहरीर करके इकरारनामा पर अपनी अंगूठी निशानी ब्रह्मानंद की गवाही के हस्ताक्षर कराके एवं इकरारनामा पर अपने तत्कालीन अधिवक्ता हलीम खॉ से अपने हस्ताक्षरों की पहचान कराके इकरारनामा को नोटेरी पब्लिक से अटेस्ट कराकर गैरसायल को संभलवा दिया जिसकी प्रति सबूत में पेश है वक्त खरीद से ही गैरसायल खसरा नंबर 5451 की 1/2 बीघा भूमि पर बहैसियत काबिज चला आ रहा है । यह कि दर0 का मद नं0 03 गलत और स्वीकार नहीं है गैरसायल सहजोर लडाकू , पैसे वाला व राजनैतिक पहुँच का आदमी नहीं है ना ही सायल की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जबकि सत्यता यह है कि सायल अत्यंत चालाक एवं बेईमान किस्म का एवं पैसे वाला व लडाकू किस्म का व्यक्ति है सायल के परिवार में करीब 20 सदस्य है जो विवादित स्थल के समीप ही रहते हैं और मुझ गैरसायल को ताकत के बल पर आए दिन परेशान करते हैं तथा मारने पीटने पर आमामदा हो जाते हैं तथा जबरन गैरसायल की भूमि में प्रवेश कर गैरसायल की भूमि को हडपने पर आमामदा रहते हैं इसी उद्देश्य से सायल ने यह दावा व दर0 झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है । यह कि दर0 का मद नं0 04 जिस प्रकार तहरीर किया वह गलत और स्वीकार नहीं है गैरसायल इस मद में दर्ज खसरा नंबरों में वर्तमान में कोई कॉलोनी नहीं काट रहा और ना ही सायल के खसरा नंबर 5451 पर कब्जा कर गलत कालोनी का नक्शा सेट कर प्लाटिंग कर रहा है सायल ने इस मद में समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किए हैं जबकि सत्यता यह है कि आराजी खसरा नंबर 5451 , 5455 , 5456 मुझ गैरसायल व मेरे भाई श्यामसिंह , योगेशसिंह के खातेदारी व कब्जे काशत की रही है जिसमें गैरसायल व उसके भाईयों ने वर्ष 2006-07 में ही प्लाटिंग कर दी थी और उक्त संपूर्ण खसरा नंबर 5454 , 5455 , 5456 धारा 90बी एल0आर0एक्ट के तहत आबादी में कन्वर्ट होकर नगरपरिषद करौली के नाम दर्ज हो चुका है और नगरपरिषद द्वारा मूखण्ड पारियों को आवासीय पट्टा जारी किए गए हैं गैरसायल ने बाकी की भूमि में कब्जा कर कोई प्लाटिंग नहीं की है अपितु गैरसायल ने सायल से खसरा नंबर 5451 में 1/2 बीघा भूमि खरीद की है जो मौके पर खाली है और गैरसायल के कब्जे काशत में है जिसकी बाउण्ड्री हो रही है। यह कि दर0

का मद नं० 05 जिस प्रकार तहरीर किया है वह गलत और स्वीकार नहीं है सायल का यह कथन गलत है कि दावा के साथ संलग्न नक्शा में मार्क ABCD XY से दर्शित गैरसायल ने सायल की भूमि खसरा नंबर 5451 में प्लॉट नं 58 से 61 व 64 से 69 व संलग्न नक्शा बरंग सुर्ख मार्क ABCD XY को मिलाते हुए अपनी कॉलोनी में मिलाकर प्लॉट काट रहा है उक्त समस्त तथ्य सायल ने पूर्णतः गलत दर्ज किए हैं नक्शा में दर्शित उक्त बरंग सुर्ख भूमि एवं उसमें दर्शित प्लॉट गैरसायल एवं उसके भाईयों के खातेदारी में रही भूमि खसरा नंबर 5456 में स्थित है जो भूमि धारा 90 बी एल०आर० एक्ट के तहत आवादी में कन्वर्ट होकर नगरपरिषद करौली के नाम दर्ज है और नगरपरिषद ने उक्त भूखण्डधारियों को आवासीय पट्टा जारी किए हैं और पट्टाधारियों द्वारा अपने भूखण्डों पर निर्माण किया है जो तथ्य सायल की पूर्ण जानकारी में है कोई भूमि सायल के खसरा नंबर की उक्त भूखण्डों में नहीं है अपितु उक्त भूखण्डों के एवं सायल की भूमि के मध्य गैरसायल की 1/2 बीघा भूमि शेष है जिस पर गैरसायल काबिज काश्त है और उसके पश्चात् सायल की भूमि से सटेवा मुझ गैरसायल की पत्थर पट्टियाँ बाउण्ड्री के रूप में गढी हुई है । यह कि दर० का मद नं० 06 जिस प्रकार तहरीर किया वह गलत और स्वीकार नहीं है मार्क ABCD से भूमि सायल का कोई संबंध नहीं है इस मद में दर्ज भूमि खसरा नंबर 5456 में स्थित है जिसमें दर्शित भूखण्डों पर भूखण्डधारी काबिज है और सायल का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा उक्त धारा 90 बी एल०आर० एक्ट के अंतर्गत कन्वर्ट होकर नगरपरिषद करौली के नाम दर्ज है गैरसायल ने कोई धमकी सायल को नहीं दी ना ही धमकी देने का प्रश्न है क्योंकि उक्त भूमि से सायल का कोई संबंध नहीं है । सायल ने समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किए हैं उक्त भूमि खसरा नंबर 5451 का हिस्सा नहीं है और सायल के कब्जे काश्त की नहीं है सायल की भूमि की वदिशा पूर्व 07 फुट ऊँची पट्टियों की बाउण्ड्रीवाल हो रही है जो मौके पर मौजूद है सायल ने इस तथ्य को दावा व दर० में छिपाया है और झूठे तथ्यों पर दावा व दर० पेश किए हैं सायल ने खसरा नंबर 5454 में से 1/2 बीघा भूमि मुझ गैरसायल को विक्रय करने के तथ्य को भी छिपाया है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है इस कारण सायल कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यह कि दर० का मद नं० 07 जिस प्रकार तहरीर किया है वह गलत और स्वीकार नहीं है खसरा नंबर 5451 की वदिशा पूर्व में बाउण्ड्री हो रही है और गैरसायल द्वारा कोई स्थिति खसरा नंबर 5451 की नहीं बदली जा रही है सायल ने इस मद में समस्त तथ्य मिथ्या दर्ज किए हैं । यह कि दर० का मद नं० 08 गलत और स्वीकार नहीं है । सायल का दावा पूर्णतः झूठे तथ्यों पर आधारित है सायल का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है सायल ने खसरा नंबर 5451 में 1/2 बीघा भूमि मुझ गैरसायल को विक्रय करने तथ्य खसरा नंबर 5451 के वदिशा पूर्व विवादित भूमि की ओर से 07 फुट ऊँची पट्टियों की बाउण्ड्री के तथ्य को छिपाया है तथा विवादग्रस्त भूमि के 90 बी की कार्यवाही के तथ्य को भी छिपाया है और उक्त भूमि के भूखण्डधारियों को तथा नगरपरिषद को व गैरसायल को भाईयों को भी पक्षकार नहीं बनाया है सायल शुद्ध हस्त से न्यायालय में नहीं आया है इस कारण वह

कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है सायल इस झूठे दावा की आड में गैरसायल से पैसे रटना चाहता है ।

अंत में विशेष कथन में निवेदन किया कि वादपत्र के साथ के नक्शा में दर्शित विवादित भूमि नगरपरिषद करौली में आबादी भूमि दर्ज होकर नगरपरिषद करौली द्वारा भूखण्डधारियों को पट्टा जारी किए गए हैं इस कारण उक्त भूखण्डधारी एवं नगरपरिषद करौली दावा व दर० में आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें पक्षकार बनाए बिना दावा व दर० चलने योग्य नहीं है । यह कि नक्शा में दर्शित भूमि खसरा नंबर 5456 है जिसकी खातेदारी पूर्व में गैरसायल एवं गैरसायल के भाई श्यामसिंह एवं योगेशसिंह के नाम दर्ज रही है और सामूहिक रूप से क़य किया गया है इस कारण सहखातेदार रहे श्यामसिंह व योगेशसिंह दावा व दर० में आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार बनाए बिना दावा व दर० चलने योग्य नहीं है। यह कि दावा व दर० न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

इस प्रकार गैरसायल नं० 01 की ओर से दर० जवाब मय शपथ पत्र पेश कर दर० सायल खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया गया ।

विद्वान् अधिवक्ता गैरसायल द्वारा दिनांक : 04.01.2017 को 01 पृष्ठीय दस्तावेज पेश किए जाने पर वकील सायल ने दस्तावेजों की नकल पर अपना ऐतराज दर्ज कराया गया । इसके बाद पत्रावली वास्ते ऐतराज में बहस हेतु 16.01.2017 नियत की गई । नियत दिनांक : 16.01.2017 को वकील फरीकेन उपस्थित हुए वास्ते ऐतराज एवं बहस TI हेतु 24.01.2017 की तिथि नियत की गई एवं 24.01.2017 को वकील फरीकेन की उपस्थिति में बहस सुनी गई ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया एवं विद्वान् वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध कस्बा करौली 'बी' की जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 5451 किस्म बंजड-2 रकबा 6.04 बीघा नामान्तरकरण सं० 2354 निर्णय दिनांक : 26.05.2004 वसीयत द्वारा खसरा नंबर 5451 रकबा 6.04 बीघा जरिए रजि० वसीयत से छोटेलाल पुत्र मनफूल जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड होने के साथ ही नोट में " श्रीमान् ACM सा० करौली का यथास्थिति बनाए रखने बावत् निषेधाज्ञा है रिकार्ड एवं मौके की स्थिति ब्यावत् बनाए रखें " अंकित है ।

गैरसायल ने अपने जवाब के बाद साक्ष्य में दिनांक : 26.06.2008 को विक्रय इकरारनामा की जो छाया प्रति पेश की है वह दस्तावेज पंजीयन विभाग में पंजीकृत नहीं कराया है न ही इस इकरारनामा के आधार पर जमाबन्दी में हिस्सा गैरसायल नं० 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है । इसी प्रकार इकरारनामा जिन गवाहों की उपस्थिति में लिखा गया है उन गवाहों के बयान गैरसायल द्वारा अपने समर्थन में नहीं कराए हैं । इकरारनामा पर प्रथम पक्ष के अंगूठा निशानी है यह अंगूठा निशानी सायल की ही है इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है । इसी प्रकार गैरसायल द्वारा खसरा


नंबर 5451 रकबा 6.04 बीघा में से 1/2 बीघा भूमि जो कस्बा करौली में स्थित है उसे इकरारनामा के जरिए 26.06.2008 को क़य करना बताया है उसे जमाबन्दी जारी होने की दिनांक 09.07.2014 या उससे पूर्व तक अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्यों नहीं करवाया जबकि उक्त भूमि करौली शहर के मध्य स्थित होकर कीमती है । अतः इससे भी इस इकरारनामा की प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है ।

गैरसायल नं0 01 वादपत्र के साथ के नक्शा में वर्णित विवादित भूमि नगरपरिषद करौली में आबादी भूमि दर्ज होकर नगरपरिषद करौली द्वारा भूखण्डधारियों को पट्टा जारी करना बताया है परन्तु प्रमाण में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि नगरपरिषद करौली में आबादी भूमि दर्ज रिकार्ड होकर इसकी 90B LR Act में हो चुकी है एवं भूखण्डधारियों को जारी पट्टा/पट्टे की प्रति साक्ष्य में पेश नहीं की है ।

दूसरी ओर सायल द्वारा कस्बा करौली 'बी' की जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 जो 09.07.2014 को जारी हुई है उसके अनुसार आराजी खसरा नंबर 5451 किस्म बंजड-2 रकबा 6.04 बीघा नामान्तरकरण सं0 2354 निर्णय दिनांक : 26.05.2004 वसीयत द्वारा खसरा नंबर 5451 रकबा 6.04 बीघा जरिए रजि0 वसीयत से छोटेलाल पुत्र मनफूल जाति माली के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज रिकार्ड है जबकि गैरसायल नं0 01 के नाम कोई हिस्सा भूमि दर्ज नहीं है ।

अतः सायल छोटेलाल पुत्र मनफूल जाति माली निवासी पी0जी0 कॉलेज के पीछे करौली द्वारा प्रस्तुत दर0 212 RT Act स्वीकार किया जाकर गैर सायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि दावे के निस्तारण होने तक दावे के साथ संलग्न नक्शा बरंग सुर्ख ABCD XY में कोई निर्माण कार्य ताकत के बल पर ना तो स्वयं करे और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे एवं मौके की स्थिति को यथावत् बनाए रखेंगे । खर्चा सायल एवं गैरसायल अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे ।

निर्णय आज दिनांक : 30.01.2017 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर हमकित्ता दावा के साथ संलग्न की जावे ।


(राजेन्द्र कुमार सायल)
उपखण्ड अधिकारी करौली